प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 21.10.2025

थाना दुद्धी पुलिस द्वारा भतीजे की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने वाला अभियुक्त मय आला कत्ल रक्तरंजित तलवार सहित 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, **अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन)** श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में तथा **क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री राजेश कुमार राय** के नेतृत्व **दुद्धी पुलिस** द्वारा हत्या के अभियुक्त को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 19.10.2025 को वादी **श्री पच्चू सिंह खरवार पुत्र बुद्धू राम निवासी नगवां (किरकिरीया टोला) थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र** द्वारा दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-264/2025, धारा 103(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS)** पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा बताया गया कि **उसके पुत्र जीत सिंह की हत्या** उसके ही **चाचा छोटू उर्फ छट्ठू पुत्र बुद्धू राम** निवासी नगवां (किरकिरीया टोला) द्वारा **पुरानी रंजिश** के कारण **धारदार हथियार से गर्दन पर प्रहार कर** कर दी गई। बीच-बचाव करने पहुँचे परिजनों के साथ गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए अभियुक्त घटना स्थल से फरार हो गया था।

दुद्धी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को **केवल 24 घण्टे के अन्दर** गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की **निशानदेही पर आला कत्ल रक्तरंजित तलवार** भी बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध **विधिक कार्रवाई पूर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु मा0 न्यायालय को प्रेषित** किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

छोटू उर्फ छट्ठू पुत्र बुद्धू राम, निवासी नगवां (किरकिरीया टोला), थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 46 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 **श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।**
2. व0उ0नि0 **सुरेश चन्द्र द्विवेदी थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।**
3. उ0नि0 **हरिकेश आजाद**, चौकी प्रभारी अमवार **थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।**
4. हे0का0 **सीता राम थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।**
5. हे0का0 **राजेश सिंह थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।**
6. का0 **आनन्द यादव थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।**